भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3894
जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग और उत्पादन

3894. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत की मांग और उत्पादन के बीच बड़ा अंतर है जो केरल में और अधिक बढ़ गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 50 रूपये प्रति यूनिट विद्युत प्रभार केरल जैसे राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा है और जो व्यस्ततम अवधि के दौरान अन्य राज्यों के विद्युत संयंत्रों से बिजली पर निर्भर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र के निजीकरण से ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है और विद्युत की अधिक लागत केरल जैसे राज्य में आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ डालेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र के निजीकरण के निर्णय और बिजली में प्रति यूनिट लागत में और अधिक वृद्धि, जो 50 रूपये प्रति यूनिट तक है, को संशोधित करेगी और इसे वापस लेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले वर्ष अर्थात् 2021-22 तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् 2022-23 (अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 की अवधि) के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम स्तर की दृष्टि से केरल की विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है। आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप है। जबकि ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर सामान्यतः, देश में विद्युत की उपलब्धता की अपर्याप्तता के अलावा उदाहरणार्थ वितरण नेटवर्क में बाधाएं, वित्त बाधाएं, वाणिज्यिक कारण, उत्पादन इकाइयों की कटौतियों आदि के कारण होता है।

(ख) : राज्य अपनी विद्युत की मांग को अपने स्वयं के उत्पादन स्टेशनों, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से प्राप्त हिस्सों, निजी उत्पादन स्टेशनों और विद्युत एक्सचेंजों से खरीद से पूरा करते हैं। सामान्यतः, विद्युत एक्सचेंज में बेची गई विद्युत देश में उत्पादित विद्युत का लगभग 4-5% होता है। पिछले वर्ष, विद्युत मंत्रालय ने इस

तथ्य का संज्ञान लेने के बाद कि पिछले कुछ दिनों में विद्युत एक्सचेंज में कीमतें 20 रुपये प्रति यूनिट तक पहुँच गई थीं, सीईआरसी को यह निर्देश दिए कि वे एक्सचेंज की अधिकतम मूल्य-सीमा तय करें, ताकि कोई मुनाफाखोरी न कर सके। सीईआरसी द्वारा दिनांक 01.04.2022 से डे अहेड मार्केट एवं रियल टाइम मार्केट में और इसके बाद दिनांक 06.05.2022 से सभी खंडों में 12 रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, मार्च, 2023 में हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएएम) नामक विद्युत बाजार का एक नया खंड शुरू किया गया है, जहां बैटरी-ऊर्जा भंडारण प्रणाली में संग्रहित गैस आधारित संयंत्रों, आयातित कोयला आधारित संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा से महंगी विद्युत बेची जा सकती थी। एचपी-डीएएम बाजार में, सीईआरसी द्वारा 50 रुपये प्रति यूनिट की एक तकनीकी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसकी भी समीक्षा की जा रही है। यह ध्यान दिया जाए कि वर्ष 2022 के दौरान डीएएम में औसत बाजार निकासी मूल्य 5.77 रुपये प्रति यूनिट था जबकि अधिकतम सीमा 10 रुपये प्रति यूनिट थी। एचपी-डीएएम में संव्यवहार अभी होना बाकी है।

(ग) : बाजारों में विद्युत की कीमत सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त होती है। मांग आपूर्ति शेष वह प्रमुख कारक है जो बाजार से प्राप्त हुए मूल्य को सीधे प्रभावित करता है।

(घ) : एच-डीएएम मार्केट सेगमेंट में भाग लेने के लिए 50 रुपये/यूनिट वह तकनीकी अधिकतम सीमा है जो उन उत्पादन प्रणालियों के लिए बनाई गई है जहां विद्युत उत्पादन की लागत 12 रुपये/यूनिट (गैस/आयातित कोयला/आरई प्लस भंडारण आदि) को पार कर सकती है। इस अधिकतम सीमा की भी समीक्षा की जा रही है। तथापि, प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियां केरल सहित सभी राज्यों द्वारा बेहतर पोर्टफोलियो प्रबंधन सहित उचित दरें सुनिश्चित करेंगी।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3894 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले वर्ष अर्थात् 2021-22 तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् 2022-23 (अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 की अवधि तक) के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम स्तर की दृष्टि से केरल की विद्युत आपूर्ति की स्थिति

वर्ष	ऊर्जा (एमयू)				व्यस्ततम (एमडबल्यू)			
	अपेक्षित ऊर्जा	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गयी ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	पूर्ति नहीं की गयी मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमडबल्यू)	(एमडबल्यू)	(एमडबल्यू)	(%)
2021-22	26,579	26,570	9	0.0	4,374	4,364	10	0.2
2022-23 (फरवरी, 2023 तक) *	25,028	25,007	21	0.1	4,699	4,370	329	7.0

(*) अनंतिम

****